सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 02/2017

बजरंगलाल पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी रामपुरा भगतान तह0 मांगरोल जिला बारां

......प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आरटीएक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री लिहाज हुसैन अंसारी

दायरा दिनांक 24.03.2017 निर्णय दिनांक : 16.05.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कान्ही बेवा माधो जाति मीणा निवासी रामपुरा भगतान की आराजी ग्राम मउ के साबिक खाता संख्या 23 खसरा नं0 41 रकबा 6 गहघा 19 बिस्वा खसरा नं0 42 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा खसरा नं0 43 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 15 बीघा है। वर्णित आराजी के सेटलमेंट बाद खाता संख्या 211 खसरा नं0 42 रकबा 0.94 है0 खसरा नं0 44 रकबा 0.77 है0 खसरा नं0 45 रकबा 0.40 है0 कुल किता 3 रकबा 2.11 है0 दर्ज किये गये। कान्ही बेवा माधो के पुत्र नही होने से कान्ही ने बजरंगलाल को गोद रखा था कान्ही की मृत्यु के बाद राजस्व रेकार्ड में बजरंगलाल का नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ सेटलमेंट विभाग की लापरवाही से साबिक खसरा नम्बरान से नये खसरा नम्बरान दर्ज करते समय प्रार्थी के खाते की आराजी में कमी रकबा दर्ज कर दिया है, प्रार्थी का साबिक रकबा 15 बीघा अर्थात 2.43 है0 था। सेटलमेंट बाद रकबा 2.11 है0 दर्ज कर दिया। जो गत रकबे के मुकाबले 0.32 है0 रकबा कम दर्ज किया है अतः खाता संख्या 211 खसरा नं0 42 रकबा 0.94 है0 खसरा नं0 44 रकबा 0.77 है0 खसरा नं0 45 रकबा 0.40 है0 कुल किता 3 रकबा 2.11 है0 ग्राम मउ में साबिक रकबा 15 बीघा के अनुसार कमी रकबा 0.32 है0 की पूर्ति की जाकर वर्तमान रकबा 2.43 है0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 24.03.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र कमांक/भू0अ0/2018/36 दिनांक 16.05.2018 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि सेटलमेंट विभाग द्वारा गत रकबा 15 बीघा की तुलना में खाते में कुल कमी 0.29 है0 की की गयी है हाल खसरा नम्बर 44 रकबा 0.77 है0 के समीपवर्ती खसरा नं0 62 रकबा 2.94 है0 वर्तमान में गोमदा पुत्र जीवना जाति चमार सीमल्या के खाते में दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नं0 62 रकबा 2.94 है0 साबिक खसरा नं0 48 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा से बनाया गया है। खसरा नं0 62 का रकबा गत रकबे की तुलना में 2.81 है0 दर्ज किया जाना था जो 2.94 है0 दर्ज किया गया हे। अर्थात 62 का रकबा 0.13 है0 बेशी दर्ज किया गया है अतः बजरंगलाल के खाते में हुयी कमी रकबे की पूर्ति खसरा नं0 62 रकबा 2.94 है0 में से 0.13 है0 दर्ज कर की जा सकती है। शेष रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने खाता संख्या 211 खसरा नं0 42 रकबा 0.94 है0 खसरा नं0 44 रकबा 0.77 है0 खसरा नं0 45 रकबा 0.40 है0 कुल किता 3 रकबा 2.11 है0 ग्राम मउ में साबिक रकबा 15 बीघा के अनुसार कमी रकबा 0.32 है0 की पूर्ति किये जाने हेतु निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की प्रार्थी के कमी रकबे की पूर्ति मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नं0 62 रकबा 2.94 है0 साबिक खसरा नं0 48 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा से बनाया गया है। खसरा नं0 62 का रकबा गत रकबे की तुलना में 2.81 है0 दर्ज किया जाना था जो 2.94 है0 दर्ज किया गया हे। अर्थात 62 का रकबा 0.13 है0 बेशी दर्ज किया गया है अतः बजरंगलाल के खाते में हुयी कमी रकबे की पूर्ति खसरा नं0 62 रकबा 2.94 है0 में से 0.13 है0 दर्ज कर की जा सकती है। अतः ग्राम रामपुरा भगतान की आराजी खसरा नं0 62 रकबा 2.94 है0 में से 0.13 है0 रकबा घटाया जाकर प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 44 का रकबा 0.90 किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प मऊ मजमेंआम में सुनाया गया।